

(4)-20

No. 10/2/2012-Coord (Vol. III)
Govt. of India
Ministry of Water Resources,
River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi. Dated 28 July 2014



OFFICE MEMORANDUM

Chm - on track
CE (HRM)

Subject: Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 - regarding

The undersigned is directed to forward herewith a copy of Office Memorandum No. 15/12/2014-Public dated 14.07.2014 alongwith enclosures of Ministry of Home Affairs on the subject cited above for kind information and strict compliance.

Encl. As above.

Sanjeet Kumar Bhagat
(Sanjeet Kumar Bhagat)
Section Officer (Coord.)
Tele. No. 23766160

To,

1. Heads of all Organizations under MOWR.
2. US(GA) in respect of Ministry (Proper)
3. Guard file.

CS
7/108

Dir (A)

1.8.14

11/8/14

US (E IV)
S.O. (E IV)

04/8/14 *Sh. Singh*

No. 15/12/2014-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section

11 (A)-21

4 JUL 2014

North Block, New Delhi-1
Dated the July, 2014

To

The Chief Secretaries / Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries / Departments of Govt. of India.

Subject:- Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 15/3/2014-Public dated 20.01.2014 on the subject noted above and to say that complaints are being received by this Ministry about the insult or disrespect to the Indian National Flag on several occasions. Accordingly, a copy each of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002 are enclosed herewith for strict compliance of the provisions contained in the Act and the Flag Code. You are requested to create awareness programme in this regard.

2. It has been brought to the notice of this Ministry that on important events, **the National Flag made of plastic** are being used in place of paper Flags. Since, plastic flags are not biodegradable like the paper flags, these do not get decomposed for a long time and are harmful to the atmosphere. Further, ensuring the appropriate disposal of National Flags made of plastic with the dignity of the flag is a problem. It may also be noted that as per Section 2 of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

3. You are, therefore, requested to ensure that on important national, cultural and sports events Flags made of paper only are used by public in terms of the provisions of the Flag Code of India and such papers Flags are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of in private consistent with the dignity of the Flag. **Wide publicity for not using the National Flag made of plastic should be made alongwith its advertisement in the leading newspapers.**

Yours faithfully,

M. Shyamala
(Shyamala Mohan)
Director to the Government of India
Tel. No. 2309 2587

Encl.:- As above.

This is for Coord- Section

23/7/2014


SO (Coord)

23/7/14

Sh. Ravi

Copy to:-


1. Cabinet Secretariat, New Delhi.
2. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
4. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
5. Election Commission of India, New Delhi.
6. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
7. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
9. Delhi High Court, New Delhi.
10. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
11. The Union Public Service Commission, New Delhi.
12. Central Vigilance Commission, New Delhi.
13. Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
14. All Attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
15. 20 Spare Copies.



(Shyamala Mohan)

Director to the Government of India

Tel. No. 2309 2587



No. 15/3/2014-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section

④-235

1
7

North Block, New Delhi-1
Dated the 20 January 2014

20 JAN 2014

To

The Chief Secretaries / Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries / Departments of Govt. of India.

Subject:- Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and
Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 15/3/2013-Public dated 17/18.01.2013 on the subject noted above and to say that complaints are being received by this Ministry about the insult or disrespect to the Indian National Flag on several occasions. Accordingly, a copy each of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002 are enclosed herewith for strict compliance of the provisions contained in the Act and the Flag Code. You are requested to create awareness programme in this regard.

2. It has been brought to the notice of this Ministry that on important events, **the National Flag made of plastic** are being used in place of paper Flags. Since, plastic Flags are not biodegradable like the paper flags, these do not get destroyed for a long time. This affects the dignity of the Flag. Also plastic, not being biodegradable, is harmful to the atmosphere.

3. You are, therefore, requested to ensure that on important national, cultural and sports events only Flags made of paper are used by public in terms of the provisions of the Flag Code of India and such papers Flags are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of in private consistent with the dignity of the Flag. **Wide publicity for not using the National Flag made of plastic should be made alongwith its advertisement in the leading newspapers.**

Yours faithfully,

Encl.:- As above.

Shyamala Mohan
(Shyamala Mohan)

Director to the Government of India
Tel. No. 2309 2587

An Act to Prevent Insults to National Honour

Be it enacted by Parliament in the Twenty- second year of the Republic of India as follows: -

1. SHORT TITLE AND EXTENT

- (1) This Act may be called the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.
- (2) It extends to the whole of India.

2. INSULT TO INDIAN NATIONAL FLAG AND CONSTITUTION OF INDIA

Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or *otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or the Constitution of India or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation 1 – Comments expressing disapprobation or criticism of the Constitution or of the Indian National Flag or of any measures of the Government with a view to obtain an amendment of the Constitution of India or an alteration of the Indian National Flag by lawful means do not constitute an offence under this section.

Explanation 2 – The expression, “Indian National Flag” includes any picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of the Indian National Flag, or of any part or parts thereof, made of any substance or represented on any substance.

Explanation 3 – The expression “public place” means any place intended for use by, or accessible to, the public and includes any public conveyance.

*Explanation 4 - The disrespect to the Indian National flag means and includes—

- (a) a gross affront or indignity offered to the Indian National Flag; or
- (b) dipping the Indian National Flag in salute to any person or thing; or
- (c) flying the Indian National Flag at half-mast except on occasions on which the Flag is flown at half-mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the Government; or

- 5
(4)-25
- (d) using the Indian National Flag as a drapery in any form whatsoever except in state funerals or armed forces or other para-military forces funerals; or
 - (e) #using the Indian National Flag:-
 - (i) as a portion of costume, uniform or accessory of any description which is worn below the waist of any person; or
 - (ii) by embroidering or printing it on cushions, handkerchiefs, napkins, undergarments or any dress material; or
 - (f) putting any kind of inscription upon the Indian National Flag; or
 - (g) using the Indian National Flag as a receptacle for receiving, delivering or carrying anything except flower petals before the Indian National Flag is unfurled as part of celebrations on special occasions including the Republic Day or the Independence Day; or
 - (h) using the Indian National Flag as covering for a statue or a monument or a speaker's desk or a speaker's platform; or
 - (i) allowing the Indian National Flag to touch the ground or the floor or trail in water intentionally; or
 - (j) draping the Indian National Flag over the hood, top, and sides or back or on a vehicle, train, boat or an aircraft or any other similar object; or
 - (k) using the Indian National Flag as a covering for a building; or
 - (l) intentionally displaying the Indian National Flag with the "saffron" down.

3. PREVENTION OF SINGING OF NATIONAL ANTHEM

Whoever intentionally prevents the singing of the Indian National Anthem or causes disturbances to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years, or with fine, or with both.

*3A MINIMUM PENALTY ON SECOND OR SUBSEQUENT OFFENCE

Whoever having already been convicted of an offence under section 2 or section 3 is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term, which shall not be less than one year.

Note 1: * Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2003 (No. 31 of 2003 dated 8.5.2003)

Note 2: # Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (No. 51 of 2005 dated 20.12.2005)

मार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक जुलाई, 2014

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/

सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के पत्र सं0-15/3/2014-पब्लिक दिनांक 20.01.2014 का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कई एक अवसरों पर इस मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान अथवा असम्मान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । तदनुसार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002, प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है। आपसे यह अनुरोध है कि इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें ।

2. इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग किया जा रहा है । चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और ये वातावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं । इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना एक समस्या है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

3. अतः आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर, भारतीय झंडा संहिता के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाय तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाय और न ही जमीन पर फेंका जाय । ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय । प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार अग्रणीय समाचारपत्रों में प्रकाशन के साथ किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीया,

म. 22/11/2014

(श्यामला मोहन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 2587

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
13. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां

म. श्यामला

(श्यामला मोहन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 2587

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

दिनांक 20 जनवरी, 2014

20 JAN 2014

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 17/18.01.2013 के पत्र सं0-15/3/2013-पब्लिक का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कई एक अवसरों पर इस मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान अथवा असम्मान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002, प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है। आपसे यह अनुरोध है कि इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें।

2. इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। इससे झंडे की गरिमा प्रभावित होती है और साथ ही प्लास्टिक के जैविक रूप से अपघट्य न होने के कारण ये वातावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं।

3. अतः आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर, भारतीय झंडा संहिता के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाय तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाय और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार अग्रणीय समाचारपत्रों में प्रकाशन के साथ किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

म. श्यामला मोहन

(श्यामला मोहन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 2587

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51

(20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाय:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

- (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलायगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुलूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*संशोधन 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

4-30

- (क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या
- (ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या
- (ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुककर फहराया जाना है, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुककर फहराना; या
- (घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सरासरी सैन्य बलों या अन्य अधिसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या
- (ङ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,
 - (i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्वी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या
 - (ii) कुशनों, लुनालों, मैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पौराणिक सामग्री पर कशीवाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या
- (च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या
- (छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने वा ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या
- (ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मंच या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या
- (झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर बसीटने देना; या
- (ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टॉप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या
- (ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या
- (ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।